निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 वैशाख 1937 (श0)

(सं0 पटना 560) पटना, सोमवार, 11 मई 2015

सं0 8प/वि–4–102/2013/पं०रा०/**2517**

पंचायती राज विभाग

———————

संकल्प

5 मई 2015

विषयः—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/ उप–प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/ उप–सरपंच को पूर्व से स्वीकृत यथास्थिति नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता एवं विशेष मानदेय को विलोपित करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 से 01.04.2015 के प्रभाव से समेकित नियत (प्रतिमाह) भत्ता की स्वीकृति।

संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त्तरूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच के दायित्वों में वृद्धि हुई है। **बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 41 के अधीन पंचायत समिति के प्रमुख, उप–प्रमुख एवं अन्य सदस्य तथा उक्त अधिनियम की धारा 68 के अधीन जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्य यथाविहित बैठक शुल्क और भत्ते पाने के हकदार हैं।** अधिनियम में ग्राम पंचायत के मुखिया, उप–मुखिया तथा ग्राम पंचायत सदस्यों एवं ग्राम कचहरी के सरपंच, उप–सरपंच तथा पंच को बैठक शुल्क एवं भत्ता देने से संबंधित प्रावधान स्पष्टतः उल्लिखित नहीं हैं, किन्तु ग्रामीण विकास तथा न्याय व्यवस्था में ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सरकार द्वारा ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों को भी भत्ता देने का निर्णय पूर्व में ही लिया गया था। पंचायती राज संस्थाओं/ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों द्वारा सम्पादित कार्यों में उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए नियत (प्रतिमाह) भत्ता, दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को विशेष मानदेय की राशि की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या–6159 दिनांक 04.12.2008 द्वारा दी गई थी। जनप्रतिनिधियों की मांग के दृष्टिगत विभाग द्वारा कालान्तर में इन भत्तों में दुगुनी वृद्धि की गई थी, जो विभागीय संकल्प संख्या–3466 दिनांक 11.06.2013 से प्रख्यापित है।

संबंधित त्रिस्तरीय पंचायत/ग्राम कचहरी की बैठकों में भाग लेने हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा दैनिक भत्ता, विशेष मानदेय एवं यात्रा भत्ता के दावों की प्रामाणिकता निर्धारित करने में जिला स्तर पर कठिनाई होती है एवं उनके लिए सही–सही यह आकलन करना मुश्किल होता है कि पंचायत प्रतिनिधियों को विहित भत्तों के भुगतान हेतु वस्तुतः कितनी राशि की आवश्यकता है। फलस्वरूप जिलों से प्रखंडों को उक्त मद में राशि आवंटित करने में कठिनाई तो होती ही है, आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में भी काफी विलम्ब हो जाता है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा यह प्रस्ताव गठित किया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों/ग्राम कचहरी के प्रधान, उप–प्रधान तथा सदस्यों को यथास्थिति वर्तमान में प्राप्त हो रहे नियत (मासिक) भत्ता, दैनिक भत्ता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला प्रतिनिधि, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को प्रत्येक बैठक के लिए अलग से देय विशेष मानदेय एवं यात्रा भत्ता के रूप में मिलने वाली सुविधा को विलोपित करते हुए सभी स्तर के प्रतिनिधियों के लिए एक समेकित नियत (मासिक) भत्ता देने का प्रावधान किया जाये। **उक्त समेकित नियत भत्ते में ही सभी तरह के अन्य भते, यथा–बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता, विशेष भत्ता आदि सम्मिलित माने जाएंगे। उक्त समेकित नियत (मासिक) भत्ता के अतिरिक्त संबंधित प्रतिनिधि को अपने जिलान्तर्गत बैठकों में भाग लेने के लिए अन्य किसी मद यथा दैनिक भत्ता, विशेष मानदेय, यात्रा भत्ता आदि के अन्तर्गत कोई भुगतान अलग से देय नहीं होगा। किन्तु उन्हें अपने जिला/राज्य से बाहर की अधिकृत यात्राओं के लिये, सरकार की पूर्वानुमति से, सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर यात्रा भत्ता/अन्य भत्ते देय हो सकेंगे।** इस प्रावधान के क्रियान्वयन से त्रिस्तरीय पंचायत/ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पूर्व से मिल रहे लाभ से ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, किन्तु साथ ही जिलों के लिए इस मद में संभावित व्यय का वस्तुपरक आकलन करना आसान हो सकेगा। त्रिस्तरीय पंचायतों/ग्राम कचहरी के प्रधानों/उप–प्रधानों को नियत मासिक भत्ता तो पूर्व से प्राप्त हो रहा है, परन्तु इन संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी नियत मासिक भत्ता दिए जाने से उनमें स्थायित्व का बोध उत्पन्न होगा तथा अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के प्रति वे ज्यादा उन्मुख, सचेष्ट एवं क्रियाशील हो सकेंगे।

2. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों/ग्राम कचहरी के प्रधान, उप–प्रधान तथा सदस्यों को यथास्थिति वर्तमान में प्राप्त हो रहे नियत (मासिक) भत्ता, दैनिक भत्ता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूप एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला प्रतिनिधि, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को प्रत्येक बैठक के लिए अलग से देय विशेष मानदेय एवं यात्रा भत्ता के रूप में मिलने वाली सुविधा को विलोपित करते हुए सभी स्तर के प्रतिनिधियों के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 से दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से अलग–अलग एक समेकित नियत (मासिक) भत्ता देने का प्रावधान किया जायेगा। उक्त समेकित नियत (मासिक) भत्ते में ही अन्य भत्ते, यथा बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता आदि सम्मिलित माने जाएंगे। उक्त नियत भत्ते के अलावा संबंधित प्रतिनिधि को अन्य किसी मद यथा दैनिक भत्ता विशेष मानदेय यात्रा भत्ता आदि के लिए कोई भुगतान देय नहीं होगा। किन्तु उन्हें अपने जिला/राज्य से बाहर की अधिकृत यात्राओं के लिये, सरकार की पूर्वानुमति से, सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर यात्रा भत्ता/अन्य भत्ते देय हो सकेंगे। इस प्रावधान के क्रियान्वयन से त्रिस्तरीय पंचायत/ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों को पूर्व से मिल रहे लाभ से ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, किन्तु साथ ही जिलों के लिए इस मद में संभावित व्यय का वस्तुपरक आकलन करना आसान हो सकेगा। त्रिस्तरीय पंचायतों/ग्राम कचहरी के प्रधानों/उप–प्रधानों को नियत मासिक भत्ता तो पूर्व से प्राप्त हो रहा है, परन्तु इन संस्थाओं के सदस्यों को भी समेकित नियत (मासिक) भत्ता दिए जाने से उनमें स्थायित्व का बोध उत्पन्न होगा तथा अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के प्रति वे ज्यादा उन्मुख, सचेष्ट एवं क्रियाशील हो सकेंगे।

तद्नुसार दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से जिला परिषद् अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, पंचायत समिति, प्रमुख/उप–प्रमुख/सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया/उप–मुखिया/सदस्य एवं ग्राम कचहरी सरपंच/उप–सरपंच/सदस्य (पंच) को निम्नांकित सारणी के स्तम्भ–5 में उल्लिखित दर से समेकित नियत (मासिक) भत्ता की स्वीकृति दी जाती हैः–

सारणी

क्र0	पंचायती राज संस्था का नाम	सदस्य संख्या	वर्त्तमान नियत (प्रतिमाह) भत्ता/दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता (राशि रु0 में)	प्रस्तावित नियत (मासिक) भत्ता (राशि रु0 में)	प्रतिमाह व्यय भार (राशि रु0 में)	वार्षिक व्यय भार (राशि रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला परिषद् अध्यक्ष	38	₹8000	**₹12000 मात्र**	₹12000×38=₹456000	₹12000×38×12=₹5472000
2	जिला परिषद् उपाध्यक्ष	38	₹6000	**₹10000 मात्र**	₹10000×38=₹380000	₹10000×38×12=₹4560000

क्र0	पंचायती राज संस्था का नाम	सदस्य संख्या	वर्त्तमान नियत (प्रतिमाह) भत्ता/दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता (राशि रु0 में)	प्रस्तावित नियत (मासिक) भत्ता (राशि रु0 में)	प्रतिमाह व्यय भार (राशि रु0 में)	वार्षिक व्यय भार (राशि रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7
3	पंचायत समिति प्रमुख	531	₹6000	**₹10000** मात्र	₹10000×531= ₹5310000	₹10000×531×12= ₹63720000
4	पंचायत समिति उप–प्रमुख	531	₹3000	**₹5000** मात्र	₹5000×531= ₹2655000	₹5000×531×12= ₹31860000
5	ग्राम पंचायत मुखिया	8398	₹1200	**₹2500** मात्र	₹2500×8398= ₹20995000	₹2500×8398×12= ₹251940000
6	ग्राम पंचायत उप–मुखिया	8398	₹600	**₹1200** मात्र	₹1200×8398= ₹10077600	₹1200×8398×12= ₹120931200
7	ग्राम कचहरी सरपंच	8398	₹1200	**₹2500** मात्र	₹2500×8398= ₹20995000	₹2500×8398×12= ₹251940000
8	ग्राम कचहरी उप–सरपंच	8398	₹600	**₹1200** मात्र	₹1200×8398= ₹10077600	₹1200×8398×12= ₹120931200
9	जिला परिषद् सदस्य	1162-76 = 1086	₹200 दैनिक भत्ता एवं ₹10 प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता	**₹2500** मात्र	₹2500×1086= ₹2715000	₹2500×1086×12= ₹32580000
10	पंचायत समिति सदस्य	11501-531×2 =10439	₹200 दैनिक भत्ता एवं ₹10 प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता	**₹1000** मात्र	₹1000×10439 = ₹10439000	₹1000×10439×12 = ₹125268000
11	ग्राम पंचायत सदस्य	115057-8398 =106659	₹200 दैनिक भत्ता एवं ₹10 प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता	**₹500** मात्र	₹500×106659 = ₹53329500	₹500×106659×12 = ₹639954000
12	ग्राम कचहरी सदस्य (पंच)	115057-8398 =106659	₹200 दैनिक भत्ता एवं ₹10 प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता	**₹500** मात्र	₹500×106659 = ₹53329500	₹500×106659×12 = ₹639954000

क्र0	पंचायती राज संस्था का नाम	सदस्य संख्या	वर्त्तमान नियत (प्रतिमाह) भत्ता/दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता (राशि रु0 में)	प्रस्तावित नियत (मासिक) भत्ता (राशि रु0 में)	प्रतिमाह व्यय भार (राशि रु0 में)	वार्षिक व्यय भार (राशि रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7
				कुल :–	**₹190759200**	**₹2289110400**
				कुल :– (दो अरब अट्ठाईस करोड़ इक्यानबे लाख दस हजार चार सौ रूपये) मात्र		

3. इस मद में होनेवाला व्यय निम्नांकित बजट शीर्षों से किया जायेगाः–

(i) योजना मुख्य शीर्ष 2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–196– जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता– उपशीर्ष– 0106–जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु–2801–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ

(ii) योजना मुख्य शीर्ष 2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–197– ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्त्ती स्तर की पंचायतों को सहायता– उपशीर्ष– 0103–पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु–2801–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ

(iii) योजना मुख्य शीर्ष 2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0105–ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु–2801–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ

(iv) योजना मुख्य शीर्ष 2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0106–ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु–2801–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ

(v) योजना मुख्य शीर्ष 2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष– 0103 –ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु–2801–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ

(vi) योजना मुख्य शीर्ष 2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष– 0104–ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु–2801–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ

(vii) योजना मुख्य शीर्ष 2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष– 0105–पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु–2801–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ

(viii) योजना मुख्य शीर्ष 2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष– 0106–जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु–2801–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 560-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in